



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082021-229050
CG-DL-E-16082021-229050

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3077]
No. 3077]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 2021/श्रावण 25, 1943
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 2021/SHRAVANA 25, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

का.आ. 3325(अ).—केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956(1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 75 मार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन/बायपास बनाने आदि) अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिये उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) (5) (6) और (7) में क्रमशः उल्लेखित जिलों तालुकों पुलिस थानों और गावों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भू-खण्ड के संबंध में अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारियों के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 75 मार्ग (सेक्शन-5) के कि.मी. 219+600 से कि.मी. 260+483 तक के लिये भूमि अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्जीजीशन अफसर गढ़वा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH75 के कि.मी. 219.6 से	झारखंड	गढ़वा	नगरउंटारी	1 उसका

		260.483 तक			
--	--	------------	--	--	--

[फा. सं. NHAI/PIU/RNC/NH-75/Section-V(LA)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th August, 2021

S.O. 3325(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 219.6 to Km. 260.483 of the NH75 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of JHARKHAND.

SCHEDULE

Land Acquisition on National Highway No. NH-75 Road (Section-5) in Km. 219+600 to 260+483 Km. in the State of Jharkhand.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	DISTRICT LAND ACQUISITION OFFICER GARHWA	219.6 KM To 260.483 KM	JHARKHAND	GARHWA	Nagaruntari	1 USKA

[F. No. NHAI/PIU/RNC/NH-75/Section-V(LA)]

RAJESH GUPTA, Director